UTTAR PRADESH POLICE
"सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा"

****प्रेस नोट–17.12.2020***

पुलिस की तत्परता से बची 02 मासूमों की जान सगे चाचा ने की तीसरे मासूम की हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा को दबोचा, आलाकत्ल बरामद।

- **कलयुगी सगे चाचा ने रिश्तों को किया तार–तार।**
- **हत्या के उपरान्त अपने ही घर में शीवर–लाइन हेतु खुदवाये गढ्ढे में छुपाया गया शव को।**
- **दूसरे भतीजे की भी हत्या कर सगी भतीजी को अपने साथ बहला–फुसलाकर भगा ले जाना चाहता था।**
- **घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल किया गया बरामद।**

दिनांक 15.12.2020 को श्रीमाती मीना देवी पत्नी बच्चू सिंह नि0–ग्राम खुशियारी द्वारा थाना जसराना पर अपने 03 बच्चे जिनकी उम्र लगभग पुत्री–15 वर्ष, 02 पुत्रों की क्रमशः 11 व 09 वर्ष के गुम होने के सम्बन्ध में थाना जसराना पर तहरीर दी जिसके सम्बन्ध में थाना जसराना पर मु0अ0स0 556/2020, धारा–363 भा0द0वि0 में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुये तत्काल कार्यवाही हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के नेत्रत्व व क्षेत्राधिकारी जसराना के पर्यवेक्षण में एसओजी व जसराना पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित कर शीघ्र से शीघ्र बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में दिनांक 16.12.2020 को दोनों ही टीमों द्वारा अथक प्रयास व कड़ी मेहनत करते हुये आस–पास के लोगों से जानकारी करते–कराते हुये मुखबिर द्वारा बताया गया कि मीना देवी के सगे देवर अमर शर्मा को एक सफेद रंग की गाडी से तीनों बच्चों को गॉव से साथ ले जाते हुये देखा है। उक्त जानकारी के उपरान्त सर्विलान्स की मदद से अमर शर्मा की लोकेशन पता की गयी तो अमर शर्मा उर्फ समरवीर के मोबाईल की लोकेशन टूण्डला क्षेत्र में ज्ञात हुई जिस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये टूण्डला पंहुचकर अमर शर्मा को स्टेशन रोड टूण्डला से पुलिस हिरासत में लिया गया जिसकी निशादेही पर 02 बच्चों को (भतीजा–भतीजी) सकुशल बरामद किया गया तीसरे बच्चे के बारे में गहनता से पूछताछ किये जाने पर बताया कि मैंने अपने बड़े भतीजे की हत्या कर दी है जिसका शव अपने ही घर में शीवर–लाइन हेतु बने 10 फीट गहरे गढ्ढे में छिपा दिया है। पकडें गये अभियुक्त अमर शर्मा को साथ ले जाकर पुलिस टीम द्वारा उसके घर में बने 10 फीट गहरे गढ्ढे से बरामद किया गया जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी और हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (बॉका) भी मौके से अभियुक्त द्वारा बरामद कराया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही नियमानुसार थाना टूण्डला पुलिस द्वारा कराई गयी।

अपराध का कारणः–पकड़े गये अभियुक्त अमर शर्मा द्वारा बताया गया कि लॉक–डॉउन के समय में मैं अपने भाई बच्चू पुरी के घर ग्राम कुशयारी जसराना में रहने लगा था वहीं पर मुझे अपनी भतीजी के प्रति आकर्षण हो गया था लॉकडॉउन के बाद जब मैं अपने घर टूण्डला आकर रहने के बाद भी मैं अक्सर फोन से अपनी भतीजी से बात–चीत करता रहता था, दिनांक 12.12.2020 को मैंने अपने योजना के तहत भाई को फोन किया कि तुम भाभी को टूण्डला आकर दवाई दिलवा दो भाई भी मेरी बातों में आकर भाभी को साथ लेकर टूण्डला दवा दिलवाने आ गया। भाई की मोटर साईकिल सही नहीं चल रही थी उसको मैंने एक मिस्त्री के यहॉ सही करने को रखवा दिया तथा भाई और भाभी को टूण्डला में ही रूकने को मजबूर कर दिया जब भाई और भाभी सो गये तो मैंने टैक्सी स्टैण्ड टूण्डला से एक गाड़ी को बुक किया और रात में ही ग्राम कुशयारी पंहुचा वहां से अपनी भतीजी को बहला–फुसलाकर साथ चलने को कहा तो भतीजी अपने दोनों भाईयों को घर में अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो मैनें कहा कि इनको भी साथ ले चलते हैं और बड़े भतीजे से कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेण्ट हो गया जिन्होंने टूण्डला बुलाया है। दोनों भतीजे यह सुनकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गये रात को पंहुचकर मैनें इन बच्चों को अपने घर में बने दूसरे घर में सुला दिया सुबह भाई और भाभी को टूण्डला से बस में बैठाकर घर ग्राम कुशयारी भेज दिया जब भाई और भाभी घर पंहुचे तो बच्चे वहां नहीं थे उन्होंने मुझे बच्चों की जानकारी हेतु फोन भी किया तो मैनें उन्हें बच्चों के सम्बन्ध में बोल दिया कि इधर–उधर तलाश कर लो कहीं न कही मिल जायेंगे जब बच्चे कहीं नहीं मिले तो मेरे भाई ने कहा कि मैं थाने जा रहा हूं और मेरा बड़ा भतीजा भी घर जाने की जिद कर रहा था तथ शोर मचा रहा था मैं अपनी भतीजी को टूण्डला से बहला–फुसलाकर बाहर ले जाना चाह रहा था जिस कारण से मैंने अपना मकान भी बेच दिया था जब मेरा सारा प्लान फेल होता हुआ दिखाई दिया और बड़ा भतीजा भी ज्यादा शोर–शराबा कर रहा था तो मैंने उसको एक कमरे में ले जाकर बांका (हाशिया) से गले पर वार किया जिससे एक ही बार में उसकी आधी गर्दन अलग हो गयी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी जिसके शव को मैने अपने ही घर में शीवर–लाइन हेतु खुदवाये गये 10 फीट गहरे गढ्ढे में छुपा दिया था और

अपने खूर में रंगे कपड़ो को रात के अधेंरे में दूर बने एक डस्टबिन में ले जाकर जला दिया था। मैं दूसरे भतीजे की भी हत्या करना चाहता था लेकिन अब मुझे अपने द्वारा किये गये कृत्य पर काफी अफसोस है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तः–

2. अमर शर्मा उर्फ समरवीर पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा, नि0–स्वरूप नगर, लाईनपार, थाना–टूण्डला, फिरोजाबाद।

बरामदगीः–

4. हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (बांका)

5. मोबाईल कचौड़ा कम्पनी –01 अदद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1–प्रभारी निरीक्षक, श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी, थाना–जसराना, फिरोजाबाद।
2– प्रभारी एसओजी श्री कुलदीप सिंह, फिरोजाबाद।
3– उ0नि0 प्रशान्त माठा, थाना–जसराना, फिरोजाबाद।

13. है0का0 625 दीवान सिंह, थाना–जसराना, फिरोजाबाद।

14. आरक्षी 1071 धवेन्द्र, थाना–जसराना, फिरोजाबाद।

15. आरक्षी 996 उमाशंकर, थाना–जसराना, फिरोजाबाद।

16. आरक्षी 1031 रविन्द्र कुमार, एसओजी, जनपद–फिरोजाबाद।

17. आरक्षी 118 रघुराज सिंह, एसओजी, जनपद–फिरोजाबाद।

18. आरक्षी 1412 पवन कुमार, एसओजी, जनपद–फिरोजाबाद।

सर्विलान्स टीमः– 1. आरक्षी 406 आशीष शुक्ला, **2.** आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय

नोटः–उक्त घटना के खुलासे हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय द्वारा टीम को 20,000 के नगद पुरूस्कार की घोषणा की गई